संख्या-96/2015/3040/26-3-2015-4(215)/90टी.सी.।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 सितम्बर, 2015

विषयः- शैक्षिक सत्र-2015-16 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा-9 व 10 के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-86/2015/2881/26-3-2015-4(215)/90टी.सी.।।।, दिनांक-27.08.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्वदशम् कक्षा-9 व 10 हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिये संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2133/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-02.09.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त निर्गत समय-सारिणी के क्रमांक-5 एवं 6 पर अंकित प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु समय-सीमा में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः-

| क्र0सं0 | प्रक्रियात्मक कार्यवाही | कार्यवाही की समयावधि |
|---|---|---|
| 1 | शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना | 15 अप्रैल से 12 सितम्बर, 2015 तक |
| 2 | एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना | 26 अगस्त से 20 सितम्बर, 2015 तक |

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0 96/2015/3040(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा विभाग।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें।

7- गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।